जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 114 प्रभात उदयपुर, मंगलवार 25 फरवरी, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

जबलपुर : सड़क हादसे में महाकुम्भ से लौट रहे 6 तीर्थ यात्री मरे

जबलपुर, 24 फरवरी। जिले के सिहोरा तहसील के पहेरवा में भीषण सड़क हादसे में छः लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की सुबह ये भीषण सड़क हादसा, खितौला थाने के पहरेवा गांव के नजदीक हुआ। यात्री बस और एक एसयूवी कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में एसयूवी कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार छः लोगों ने मोके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल जबलपुर रेफर किया गया है।

- **कर्नाटक के तीर्थ यात्रियों की एसयूवी एक बस से टकरा गई जिससे एसयूवी में सवार सभी 6 यात्री मारे गए।**

प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान और दर्शन कर श्रद्धालु गाड़ी से लौट रहे थे कि सोमवार की तड़के 4:30 उनकी गाड़ी भीषण सड़क हादसे की शिकार हो गई। ये सभी श्रद्धालु कर्नाटक के रहने वाले थे और अपने घर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही सिहोरा-खितौला की पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है।

मृतकों की पहचान विरुपक्सि गुमती, बस्वराज कुरति, बालाचंद्र और राजू के रूप में हुई है। वहीं, घायलों की पहचान सदाशिव और मुस्ताफ के रूप में हुई है। बता दें कि 11 फरवरी को इसी रूट पर एक ट्रैवलर गाड़ी ट्रक से टकरा गई, थी जिसमें आंध्र प्रदेश के आठ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी।

इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी व छः विधायकों के निलम्बन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बायकॉट कर दिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेसियों ने सदन से बाहर आकर विधानसभा की सीढ़ि यों पर नारेबाजी की।

गतिरोध नहीं टूटा, कांग्रेस ने बायकॉट किया, मार्शलों के घेरे में विधानसभा चली

स्पीकर और मुख्यमंत्री की पहल असफल रही, डोटासरा द्वारा ''अपशब्दों'' पर माफी नहीं माँगने से मामला अटका

जयपुर, 24 फरवरी। विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल में हंगामे के साथ शुरू हुई। बाद में गतिरोध समाप्त करने पर चर्चा हुई और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी पहल की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में अपने कक्ष में बैठकर संसदीय कार्य मंत्री एवं अन्य नेताओं से गतिरोध तोड़ने के लिए कहा।

- **धरने के दौरान डोटासरा द्वारा स्पीकर के लिये प्रयोग किये गये अपशब्दों की रिकॉर्डिंग किसी विधायक ने स्पीकर को सुना दी। इससे बात और ज्यादा बिगड़ गई।**
- **विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को रोकने के लिये पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया तथा वॉटर कैनन का प्रयोग किया।**

विधानसभा में चार दिनों से चल रहा कांग्रेस विधायकों का धरना सोमवार को बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस विधायक बायकॉट की घोषणा कर सदन से बाहर निकल आए। कांग्रेस विधायक जब बाहर निकले तो निलंबित विधायक भी बाहर आए। कुछ देर बाद निलंबित विधायक हाकम अली, जाकिर हुसैन गैसावत, संजय जाटव जब दोबारा विधानसभा के अंदर जाना चाह रहे थे, तो सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला देकर उनको अंदर जाने से रोक दिया। इस समय उनकी सुरक्षाकर्मियों से तीखी नोंक-झोंक हुई। स्थिति को बिगड़ता देख वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राजेन्द्र पारीक ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया।

इससे पहले, बजट पर बहस के दौरान मार्शलों की घेराबंदी में सदन की कार्यवाही चली, इस बीच कांग्रेस विधायक वैल में नारेबाजी करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने एक सदस्य पर सदन को हाईजैक करने का आरोप लगाया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष जूली ने बायकॉट की घोषणा की।

सोमवार को अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित, 6 विधायकों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'करतारपुरा नाले से अतिक्रमण हटाने पर अब तक क्या कार्यवाही हुई'

जयपुर, 24 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने करतारपुरा नाले में हुए अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 26 मार्च तक मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी पेश की जाए। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश कर नाले की चौड़ाई के संबंध में जानकारी दी। एएजी ने तीन साल पहले हुई बैठक का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि 13 जनवरी, 2022 को जेडीए अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि करतारपुरा नाले की चौड़ाई तीस मीटर रहेगी और नाले के दोनों ओर दस-दस मीटर की जमीन सुरक्षा कॉरिडोर के लिए आरक्षित रखी जाएगी। इस निर्णय के बाद नाले का पीटी सर्वे किया गया, जिसमें सामने आया कि नाले में करीब पांच सौ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इनमें से 403 अतिक्रमणों को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं, 17 अतिक्रमियों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया है। अन्य अतिक्रमियों को नोटिस जारी करने के साथ ही शेष कार्रवाई की जा रही हैं। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि करतारपुरा नाला बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है। नाले के पक्का नहीं होने और फैंसिंग नहीं लगाने के चलते यहां अतिक्रमण और हादसे हो जाते हैं। इसके अलावा, अभी तक नाले की सीमा भी तय नहीं की है, जिसके कारण नए अतिक्रमण भी नहीं रुक रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फड़नवीस व शिंदे के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं

ऐसा लगने लगा है कि जैसे मु.मंत्री फड़नवीस की पहली प्राथमिकता पूर्व मु.मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्णयों की कमी निकालना व और उनके पुराने आदेशों को पलटना ही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 फरवरी। महाराष्ट्र की देवेन्द्र फड़नवीस सरकार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ एक के बाद एक दूसरा ऑर्डर निकाला है। यह आदेश महाराष्ट्र में मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ की योजनाओं के संचालन के लिए नोडल एजेंसियों के चयन में हुई गड़बड़ियों की जाँच के बारे में है। फड़नवीस सरकार ने इससे पहले शिंदे द्वारा घोषित हाउसिंग योजना में हुए 900 करोड़ रूपए के घोटाले की जाँच का आदेश भी दिया है।

फड़नवीस और शिंदे दोनों ही एक दूसरे के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। गत सप्ताहों के घटनाक्रम से संभवतया तनाव और बढ़ सकता है।

फड़नवीस ने हालिया सप्ताहों में जो फैसले लिए हैं, उनसे शिंदे खासतौर पर ज्यादा नाराज़ है। भाजपा नीत सरकार ने फरवरी में शिंदे सरकार का 1,400 करोड़ रूपए का टैंडर कैंसिल कर दिया। शिंदे सरकार ने शौचालयों, सड़कों व झुग्गी की सफाई के लिए यह टैंडर बी.एम.सी. को दिया था। शिवसेना नेता इस बात पर भी नाराज़ हैं कि फड़नवीस सरकार ने उनके क्षेत्र के जिलों नासिक व रायगढ़ में उनकी पार्टी के मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन मंत्री घोषित करने की उनकी माँग नहीं मानी। यह भी खबर है कि सरकार ने शिवसेना के कई विधायकों की सुरक्षा घटा दी है।

- **फड़नवीस के इस एक सूत्री कार्यक्रम के जवाब में शिंदे ने अप्रत्यक्ष धमकी देते हुए कहा, ''मुझे हल्का समझने की गलती न करे कोई। 2022 में भी मुझे हल्का समझा गया और मुझे राज्य सरकार को गिराना ही पड़ा और एक ''डबल इंजन'' की सरकार बनवानी पड़ी। मैं एक साधारण कार्यकर्ता जरूर हूँ। पर, बाला साहब ठाकरे का अनुयायी हूँ, यह भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए।''**
- **हाल ही में मु.मंत्री फड़नवीस ने, पूर्व मु.मंत्री शिंदे पर जाँच भी शुरु करवा दी, जैसे, 900 करोड़ रूपए की लागत की शिंदे सरकार की हाउसिंग स्कीम्स पर जाँच बिठा दी है।**
- **इसी प्रकार मु.मंत्री फड़नवीस ने शिंदे सरकार द्वारा बीएमसी (बृहत् मुम्बई कॉरपोरेशन) के रख रखाव व साफ-सफाई आदि का, 1,400 करोड़ रूपये की लागत का ठेका भी निरस्त कर दिया है।**

तनाव के कई अन्य संकेत भी मिल रहे हैं। शिंदे ने मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर उपमुख्यमंत्री हैल्थ रिलीफ फंड बनाया है। उपमुख्यमंत्री ने एक पैरेल समानान्तर वॉर रूम भी बनाया है। गत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आप के 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, पाला बदलने के लिए'

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह बाजवा ने यह दंभ भरा दावा किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 फरवरी। दिमागी खेल की राजनीति के अन्तर्गत, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रतापसिंह बाजवा ने आज दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक, दलबदल की मंशा से, ''मेरे संपर्क'' में हैं। पंजाब विधानसभा सत्र से पहले, बाजवा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार 1,000 रूपये के मानदेय के मामले में विलम्ब कर रही है, जिसका वादा चुनावों से पहले किया गया था।

कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि राज्य सरकार लम्बे सत्र चलाने की इच्छा ही नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि आप पार्टी शीघ्र ही मुख्यमंत्री भगवंत मान को बदल देगी।

- **कांग्रेस विधायक परगत सिंह ने भी इस लय में आगे कहा कि आप पार्टी स्वयम् ही, शीघ्र ही मु.मंत्री भगवंत सिंह मान को बदलने वाली है।**
- **आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली में पंजाब सरकार के गेस्ट हाउस, कपूरथला हाउस में मु.मंत्री मान व विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसके बारे में चर्चा है कि यह बैठक, पंजाब के मु.मंत्री को बदलने की कवायद का हिस्सा है।**
- **पर, यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस राजनीतिक शतरंज का यह मनोवैज्ञानिक खेल, खेल रही है, आप के दिल्ली की हार के बाद निराश व कुंठित विधायकों में विभाजन करवाने के लिए।**

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुये

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संभल : सार्वजनिक सम्पत्ति पर है कुआं

नई दिल्ली, 24 फरवरी। यूपी सरकार ने संभल हिंसा मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस कुएं की बात हो रही है, वह मस्जिद के बाहर है और सार्वजनिक भूमि पर है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता (शाही जामा मस्जिद समिति) ने भ्रामक तस्वीरों का उपयोग करके स्थान को गलत तरीके से पेश किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि विवादित कुआं मस्जिद के अंदर है।

- **यूपी सरकार ने संभल की शाही मस्जिद के बाहर स्थित विवादित कुएं पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी।**

इससे पहले, शाही जामा मस्जिद समिति ने एक आवेदन दायर किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्टालिन ने मोदी से सीख ली: अभी से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे

तैयारी के तहत, पूरा प्रचार करने में जुट गये हैं कि केन्द्रीय सरकार नई शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु पर हिन्दी थोपने को तत्पर है

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 फरवरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भाषा के मुद्दे पर तो इमोशनल छक्के लगा ही रहे हैं, इसके साथ-साथ अब उन्होंने 2026 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए ''गवर्नैंस डिलिवरी'' का रास्ता भी अपनाया है। अर्थात् वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं व नीतियों की क्रियान्विति हो।

पूर्व के विपरीत, सन् 2021 में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य की सत्ता संभालते ही स्टालिन, भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी की तरह चुनाव अभियान मोड में आ गए थे। अभी तक अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने ''गवर्नैंस डिलिवरी'' मॉडल पर खास ध्यान दिया है और साथ ही साथ ग्रोथ व डवलपमैंट पर फोकस कर रहे हैं, तथा अक्सर डेटा के माध्यम से उपलब्धि की बात करते हैं। चाहे वो ग्रोथ हो या सामाजिक संकेतक अथवा अन्य आर्थिक मापदंड, वे अपने भाषणों में इनका उल्लेख करते थकते नहीं हैं। अभी तक वे भाग्यशाली रहे हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है और फिल्म स्टार विजय की राजनीति में एन्ट्री उन्हें फायदा अधिक देगी, नुकसान नहीं।

- **भाषा के भावात्मक मुद्दे के बाद, स्टालिन अब 2026 के चुनाव की दृष्टि से शिक्षा और हैल्थकेयर स्कीम्स पर फोकस कर रहे हैं तथा लाइलाज बीमारियों, जैसे डायबिटीज़ व ब्लडप्रेशर की दवाई को सस्ते न्यूनतम दामों पर उपलब्ध कराने के लिये''मुदालवर मरुनधगम्'' (मु.मंत्री की फार्मेसी) की व्यापक योजना बनाई है। इन फार्मेसी की दुकानों को चलाने वालों को सरकार की तरफ से ''सब्सिडी'' भी दी जायेगी। इन क्रॉनिक बीमारियों की दवाई 75 प्रतिशत डिस्काउंट पर उपलब्ध कराई जायेंगी।**
- **इन दवा की दुकानों के जरिए स्टालिन दो मैसेज़ देना चाहते हैं, विशेषकर तमिलनाडु के मध्यम वर्ग को, कि सस्ती दवाइयाँ मिलना बहुत राहत देगा तथा केन्द्रीय सरकार चाहे जितने भी रोड़े अटकाये, स्टालिन की सरकार अपनी जनता को, राहत पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।**

लेकिन वर्तमान में उनका फोकस रेवड़ियों के वितरण तथा नए और पुराने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विजेन्द्र गुप्ता दिल्ली के स्पीकर बने

नयी दिल्ली, 24 फ़रवरी। विजेंद्र गुप्ता सोमवार को सर्वसम्मति से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गये। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने समर्थन

- **मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा प्रोटैम स्पीकर अरविंदर लवली ने स्पीकर पद के लिए गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुल 400 करोड़ रूपए की पैनल्टी से राहत मिल सकती है, करदाताओं को

हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े कुछ याचिकाकर्ताओं को राहत दी

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 24 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनील अग्रवाल समेत 9 याचिकाकर्ताओं द्वारा ''सेन्ट्रल सर्कल'' असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के तहत गलत तरीके से '' पैनल्टी'' लगाए जाने के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अवनीश जिन्गम और न्यायाधीश शुभा मेहता ने याचिककर्ताओं को राहत दी है, और इनकम टैक्स विभाग द्वारा भविष्य में टैक्सदाता के खिलाफ अवांछित कार्यवाही करने के खिलाफ मौखिक टिप्पणी भी की है। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पैरवी के लिए पेश हुए थे।

दरअसल सुनील अग्रवाल के साथ कई अन्य टैक्सदाता थे, जिनको इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 69-सी व 69-ए के तहत नोटिस भेजा था, जिसके तहत टैक्सदाता के द्वारा किसी भी सम्पत्ति जेवर, गहना, सोना या अन्य मूल्यवान वस्तु की खरीद के सम्बन्ध में उपयुक्त दस्तावेज या रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाने या उस वस्तु को खरीदने के लिए आय का स्त्रोत नहीं दर्शा पाने पर नोटिस भेजा जाता है।

हैरानी की बात है कि 1 अक्टूबर 2024 को 'एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स' द्वारा इनकम टैक्स की धारा 271-ई के तहत इन सभी टैक्स दाताओं पर पैनल्टी लगाने का नोटिस जारी कर किया गया। उल्लेखनीय है कि 271-ई के तहत उन टैक्सदाताओं पर पैनल्टी लगाई जाती है, जिन्होंने 20,000/- से अधिक की रकम का कर्ज नगद में चुकाया हो चाहे वह लोन उसके नाम पर हो या संस्था के नाम। इनकम टैक्स एक्ट के तहत 20,000/- से अधिक का लोन चैक या अन्य ऑनलाईन बैंकिंग माध्यमों से ही चुकाया जा सकता है, ताकि इसका रिकॉर्ड अधिकारियों को उपलब्ध हो सके।

- **अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इन्कम टैक्स एक्ट के तहत निर्धारण अधिकारी (असैसिंग ऑफिसर) की रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष या तथ्य पैनल्टी लगाने के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कमिश्नर व अदालतें करदाताओं पर पैनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं कर सकतीं।**
- **अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों का हवाला देते हुए यह आदेश दिए।**

हैरानी की बात है कि इन सभी टैक्सदाताओं के खिलाफ निर्धारण अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई भी टिप्पणी या निष्कर्ष नहीं लिखा था, जिसके आधार पर इन टैक्सदाताओं के खिलाफ धारा 271-ई के तहत कार्यवाही हो सकती थी।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट और 13 हाईकोर्ट और 13 'एपिलेट ट्रिब्यूनल' में दिए गए निर्णयों को आधार बनाते हुए कहा कि अगर निर्धारिण अधिकारी की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य या निष्कर्ष रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है, जिससे टैक्सदाता पर कोई पैनल्टी लगाई जाए तो इनकम टैक्स कमिश्नर या अन्य अपीलेट अदालतें टैक्सदाता पर पैनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि सेन्ट्रल सर्कल के इनकम टैक्स असिस्टैन्ट व जॉइन्ट कमिश्नर ने कई और मामलों में कार्यवाही का यही तरीका अपनाया है। इस पर अदालत ने कठोर टिप्पणी की है।

उल्लेखनीय है कि इन मामलों में कुछ मामले अभी हाईकोर्ट नहीं पहुंचे है, परन्तु जल्द ही दायर कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सेन्ट्रल सर्कल के अफसरों की ऐसी कार्यवाहियों में करीब 400 करोड़ रू. की कुल पैनल्टी लगाई गई थी।